झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–748 वर्ष 2017

अमित कुमार शित ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सचिव, दूरसंचार मंत्रालय (डाक एवं टेलीग्राम विभाग), नई दिल्ली, के माध्यम से भारत संघ।
2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड, रांची।
3. वरीय डाक अधीक्षक, सिंहभूम डिवीजन, जमशेदपुर
4. उप–विभागीय निरीक्षक डाकघर सेवाएं, जमशेदपुर, पूर्व सब डिवीजन, जमशेदपुर

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश प्रसाद देव

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री महेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मेसर्स प्रत्युष कुमार, सी0जी0सी0, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

06 / 27.01.2020 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच (रांची में सर्किट बेंच) द्वारा ओ0ए0 संख्या 051 / 00237 / 2015 (अनलग्नक–7) में पारित 11.11.2016 के कार्यालय आदेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा विद्वान कैट द्वारा ग्राम डाक सेव

(जी0डी0एस0) के रूप में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को समाप्त करने के दिनांक 20.08.2015 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया है।

3. डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और वचनबद्धता) नियम, 2011 (काउंटर एफिडेविट की अनुलग्नक–डी) के संदर्भ में एक जी0डी0एस0 के रूप में वचनबद्धता की शर्तों के अनुसार, ऐसे किसी भी जी0डी0एस0 को चयन के एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पोस्ट गांव/डाकघर के वितरण क्षेत्राधिकार में निवास करना आवश्य है, लेकिन जी0डी0एस0 के रूप में काम करने से पहले। याचिकाकर्ता वचनबद्धता पत्र दिनांक 11.06.2015 का है (अनुबंध–1)। हालांकि, उनके द्वारा जमा किए गए दोनों आवास/समझौते पत्र, एक दुखुराम नायक के समक्ष दिनांक 08.04.2015 और दूसरा शेख नसीम, पे0 शेख अजीम दिनांक 03.07.2015 (अनुलग्नक–2 श्रृंखला) को संबंधित गृह मालिकों द्वारा प्रति शपथ पत्र के अनुलग्नक–ए और सी के अनुसार डाकघर अधीक्षक, सिंहभूम डिवीजन, जमशेदपुर के साथ प्रत्यक्ष पत्राचार करके बरकरार नहीं रखा गया था। इन दोनों पत्रों के माध्यम से, घर के मालिकों ने अपनी सहमति वापस ले ली और आवेदक द्वारा पोस्ट गांव/सुपुर्दगी क्षेत्राधिकार में आवासीय आवास के समर्थन के रूप में प्रस्तुत ऐसे किसी भी समझौते को रद्द करने का अनुरोध किया। फिर पत्र दिनांक 16.07.2015 (अनुलग्नक–3) के द्वारा उन्हें यह बताने के लिए कहा गया कि पूर्व के 11.06.2015 के पत्र के अनुसार 30 दिनों के भीतर गैर–न्यायिक स्टाम्प में आवासीय अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने में विफलता पर उनकी नियुक्ति को समाप्त क्यों नहीं किया जाए।

4. आवेदक/याचिकाकर्ता ने विद्वान कैट के समक्ष यह समझाने की कोशिश की कि उसने तीसरा आवास समझौता पत्र प्रस्तुत किया जिसे उसने दिनांक 17.07.2015 ने ए हरि किंकर मलिक के साथ किया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया है। नियुक्ति को दिनांक 20.08.2015 को वरीय डाक अधीक्षक, सिंहभूम डिवीजन, जमशेदपुर के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यह प्रस्तुत किया है कि विद्वान कैट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आधारों पर विचार किए बिना नियुक्ति की समाप्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

5. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि 2011 के नियमों के अनुसार, चयन के 30 दिनों के भीतर और नियुक्ति से पहले, जी0डी0एस0 द्वारा आवासीय/आवास कागजात आपूर्ति किए जाने थे। हालांकि याचिकाकर्ता कार्यालय पत्र दिनांक 11.06.2015 द्वारा जी0डी0एस0बी0पी0एम0, गुरूबंधा के रूप में नियुक्त हुए थे, लेकिन 30 दिनों के भीतर, उनके द्वारा प्रस्तुत आवास पत्रों को संबंधित घर मालिकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए, उनकी नियुक्ति की समाप्ति से पहले, दिनांक 16. 07.2015 को नोटिस जारी किया गया था। उत्तरदाता याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य आवास पत्र को स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि यह 2011 के लागू नियमों के विरूद्ध होगा। विद्वान कैट ने भौतिक तथ्यों को उपयुक्त रूप से ध्यान दिया है और एक विचारणीय निर्णय पर पहुंचे हैं, जिसे मनमाना, अवैध या विवेकहीन नहीं कहा जा सकता है। अतः रिट याचिका खारिज होने के लिए उपयुक्त है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर संबंधित सामग्रियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए पर विचार करने के बाद, आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, हमें विद्वान कैट द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। आवेदक/याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के बाद भी 2011 के नियमों के संदर्भ में ग्राम पोस्ट/वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर निवास की अनिवार्य शर्त का पालन करने में विफल रहा, हालांकि नियम निर्धारित करते हैं िकइस तरह के कागजात नियुक्ति से पहले एवं चयन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं। निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत ऐसा कोई भी समझौता पत्र उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तथ्यों या कानून में कोई त्रुटि नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(कैलाश प्रसाद देव, न्याया0)